भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *143

दिनांक 10 फरवरी 2026 / 21 माघ, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

राष्ट्रीय भवन संहिता के अंतर्गत अग्नि सुरक्षा उपबंध

†***143 श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू:**

श्री पुट्टा महेश कुमार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी) 2016 के भाग 4 (अग्नि और जीवन सुरक्षा) के अंतर्गत विशेष रूप से अस्पतालों, वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक इकाइयों और आवासीय भवनों में अग्नि सुरक्षा उपबंधों की प्रभावकारिता के संबंध में कोई समीक्षा या आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा तथा निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान सांस में धुआं लेने, विद्युत संबंधी खामियों, ज्वलनशील पदार्थों और लापरवाही सहित आग से संबंधित दुर्घटनाओं और मौतों की राज्य-वार कुल संख्या और कारण क्या हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान अग्नि सुरक्षा के लिए वार्षिक रूप से कितने भवनों की संपरीक्षा की गई है और इन भवनों में से कितने भवनों में आनुपातिक रूप से अग्नि सुरक्षा का अनुपालन नहीं किया गया अथवा आंशिक रूप से अनुपालन किया गया था;

(ङ) क्या सरकार का विचार एनबीसी के भावी संशोधनों में धुआं प्रबंधन प्रणालियों, आवधिक संपरीक्षा, बिजली के कारण लगने वाली आग को रोकना और डिजिटल अनुपालन ट्रैकिंग के उपबंधों को शामिल करने का है;

(च) क्या एनबीसी मानकों की अंतर्राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा मानकों के साथ तुलना की गई है और इनमें किन कमियों का पता चला हैं; और

(छ) राज्यों और स्थानीय निकायों द्वारा जवाबदेही, प्रवर्तन, निरीक्षण और शास्ति को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (छ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *143 दिनांक 10.02.2026

लोक सभा में दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु तारांकित प्रश्न संख्या *143 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में वक्तव्य

अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। अग्निशमन सेवाओं को मजबूत और सुसज्जित करने और अपने क्षेत्राधिकार में अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने हेतु आवश्यक उपाय करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

केंद्र सरकार की भूमिका राज्य सरकारों को नीतिगत मामलों में सलाह और सहायता प्रदान करना है ताकि वे आग से बचाव और सुरक्षा संबंधी उपाय कर सकें। केंद्र सरकार केंद्रीय रूप से राज्यों में आग दुर्घटनाओं/घटनाओं और ऑडिट किए गए भवनों से संबंधित डेटा नहीं रखती है। हालांकि, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) को दी गई जानकारी के अनुसार, 2023 में देश में आग दुर्घटनाओं के कुल 7,054 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 6,891 लोगों की मृत्यु हुई और 284 लोग घायल हुए।

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा भारत की राष्ट्रीय भवन संहिता (एनबीसी), 2016 प्रकाशित की गई है। इसमें भवनों के निर्माण, रख-रखाव तथा अग्नि सुरक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश शामिल हैं। एनबीसी 2016 के वर्तमान संस्करण में धुआँ प्रबंधन, आवधिक ऑडिट, विद्युत अग्नि रोकथाम, भवन प्रबंधन प्रणाली, अग्निशमन एवं अग्नि रोकथाम हेतु सेंसर आदि से संबंधित प्रावधान सम्मिलित हैं। एनबीसी 2016 के संबंधित अध्यायों के संशोधन के दौरान भवन निर्माण एवं अग्नि सुरक्षा से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को भी ध्यान में रखा गया है।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा मॉडल बिल्डिंग बाय-लॉज़, 2016 तैयार किए गए हैं, ताकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने-अपने भवन उपविधियों के संशोधन में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। इनमें अग्नि संरक्षण एवं अग्नि सुरक्षा आवश्यकताओं पर एक पृथक अध्याय भी शामिल है, जिसमें अग्नि सुरक्षा के लिए निर्धारित मानदंड एवं मानक दिए गए हैं। इनका प्रभावी प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय (एनएफएससी), नागपुर उप-अग्निशमन अधिकारियों, स्टेशन अधिकारियों और प्रभागीय अधिकारियों के लिए अग्निशमन और बचाव आदि की उन्नत तकनीकों में नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करता है। महाविद्यालय एआईसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त और आर.टी.एम. नागपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध अग्निशमन अभियांत्रिकी विज्ञान में चार वर्षीय बी.टेक डिग्री

कार्यक्रम भी संचालित करता है। एनएफएससी, नागपुर ने पिछले पांच वर्षों में 4049 अग्निशमन सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है और 329 बी.टेक इंजीनियर तैयार किए हैं।

राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को पहचानते हुए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से 5000 करोड़ रुपये के कुल केंद्रीय परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए दिनांक 4 जुलाई 2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना" शुरू की है ।

इस योजना में नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को सुदृढ़ करना एवं क्षमता निर्माण, आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था, राज्य मुख्यालयों एवं शहरी अग्निशमन केंद्रों को सुदृढ़ करना, तकनीकी उन्नयन तथा ऑनलाइन प्रणालियों की स्थापना एवं विस्तार जैसे उपाय शामिल हैं।

अग्नि सुरक्षा विनियमों का प्रवर्तन, निरीक्षण, जवाबदेही व्यवस्था एवं दंड संबंधित राज्य अग्नि सेवा अधिनियम/नियमों तथा स्थानीय वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

***